अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

04 14.09.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 89 /2023 राज्य बनाम् समीर बागची उर्फ कल्लु बंगाली, पिता प्रवीर बागची, निवासी कमडे, थाना रातु जिला– रांची (झारखण्ड) .... विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची के पत्रांक 1022/डी०सी०बी० दिनांक 16.08.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी समीर बागची उर्फ कल्लु बंगाली, पिता प्रवीर बागची, निवासी कमडे, थाना रातु जिला– रांची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. बरियातु थाना कांड संख्या 173/20 दिनांक 24.09.2020 धारा 385/387/34 भा०द०वि० 2. जगरनाथपुर थाना कांड संख्या 457/19 धारा 420/467 /468 /471/341/323/325/379/504 भा० द०वि० 3. चुटिया थाना कांड संख्या 128/20 दिनांक 12.07.2020 धारा 399/420/115 भा०द०वि० एवं 25 (1–ए०) 26/35 आर्म्स एक्ट 4. लोअर बाजार थाना कांड संख्या 149/12 दिनांक 05.05.2012 धारा 25 (1–बी०)ए०/26/35 आर्म्स एक्ट 5. रातु थाना कांड संख्या– 320/21 दिनांक– 20.10.2021 धारा 467/468/471/420 भा०द०वि0 एवं 27/30 आर्म्स एक्ट 6. सदर थाना कांड संख्या 117/10 धारा 147/341/323	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

2

	भा०द०वि० 7. डालटनगंज नगर जी० आर० संख्या 1211/04 दिनांक 16.09.2004 धारा 25 (1–बी०) ए०/26 आर्म्स एक्ट 8. डालटनगंज नगर एस० टी० संख्या 65/05 दिनांक 16.09.2005 धारा 302/34 भा०द०वि० 9. रातु थाना सन्हा सं० 10/23 दिनांक 20.07.2023 10. रातु थाना सन्हा सं० 40/23 दिनांक 20.07.2023 11. रातु थाना सन्हा सं० 11/23 दिनांक 22.07.2023 12. रातु थाना सन्हा सं० 21/23 दिनांक 22.07.2023 13. रातु थाना सन्हा सं० 09/23 दिनांक 23.07.2023 14. रातु थाना सन्हा सं० 09/23 दिनांक 24.07.2023 वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी समीर बागची उर्फ कल्लु बंगाली, पिता प्रवीर बागची, निवासी कमड़े, थाना रातु जिला– रांची एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। ये वर्त्तमान समय में जेल से बाहर है। विपक्षी के द्वारा अपने गुर्गे के माध्यम से रातु थानान्तर्गत आम जनता से जमीन संबंधी मामले के निष्पादन हेतु रंगदारी की मांग की जा रही है। रातु थाना के आमलोग सक्रिय एवं कुख्यात अपराधी समीर बागची उर्फ कल्लु बंगाली, के नाम से भयाक्रान्त है तथा आम जनता गुप्त रूप से रंगदारी की राशि देने के लिए विवश होते है, परन्तु प्रत्यक्ष रूप से बोलने की हिम्मत अथवा प्राथमिकी दर्ज कराने की हिम्मत नही कर पाते है। विपक्षी अपने आवासन को काफी गोपनीय तरीके से रखता है तथा अपने ठिकाने में स्थानीय परिवर्तन करता रहता है। उक्त कुख्यात अपराधकर्मी के कार्यो से लोक प्रशान्ति प्रभावित हो रही है तथा भविष्य में आम जन जीवन के भी प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे व्यक्ति से व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है। जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार –पुलिस के द्वारा विपक्षी के उपर लगाये गये सारे आरोप सरासर गलत तथा बेबुनियाद है। विपक्षी के विरूद्ध कुल छः सनहा दर्ज कराया गया है एवं सभी सनहा दिनांक 20.07.2023 से लेकर 24.07.2023 तक दर्ज कराया गया है। उपरोक्त सभी सनहों मे एक ही तरह के तथ्य वर्णित किये गये है। सन्हा मे वर्णित तथ्यो के आधार पर विपक्षी के द्वारा किसी भी किस्म का अपराध करने की या कराने की पुष्टि नही होती है, जिससे लोक शान्ति भंग होती हो। इन सारे सनहों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस के द्वारा इसे इस लिए दर्ज किया गया ताकि विपक्षी पर अपराध नियंत्रण की धारा को लगाया जा सके। किसी भी आदिवासी या आम जनता के द्वारा विपक्षी के उपर कोई भी आरोप मौखिक या लिखित रूप में नहीं लगाया गया है। विपक्षी के खिलाफ दायर बरियातु थाना काण्ड संख्या 173/20 मे उन्हे श्री मनीष कुमार सिंह, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, रांची ने आदेश दिनांक 28.07.2021 के द्वारा बरी कर दिया गया है। जगरनाथपुर काण्ड संख्या 457/19, विद्वान अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, रांची के यहां लंबित हैं एवं इस काण्ड में समर्पित आरोप पत्र को निरस्त करने हेतु विपक्षी के द्वारा विद्वान न्यायुक्त रांची के न्यायालय मे Cri Rev No.- 438/2023 दायर किया गया है, जो सुनवाई हेतु लंबित है। चुटिया थाना कांड संख्या 128/2020 दिनांक 12.07.2020 विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रांची के न्यायालय में लंबित है। विपक्षी को झुठे आरोप के तहत्त इस वाद मे फंसाया गया है। लोअर बाजार थाना काण्ड संख्या 149/12 दिनांक 05.05.2012 विद्वान न्यायालय श्री अक्षत श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी रांची ने ओदश दिनांक 28.11.2022 के द्वारा रिहा कर दिया गया है। रातु थाना कांड संख्या 320/21 दिनांक 20.10.2021 मे विपक्षी को झुठे आरोप के तहत्त फंयाया गया है क्योंकि यह पुलिस के द्वारा विपक्षी का एक लाईसेंसी पिस्टल जप्त किया था, जिसका लाईसेंस Deputy

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

	Commissioner Dimapur (Nagaland) के द्वारा निर्गत किया गया था जांच के उपरान्त उनका लाईसेंस सही पाया गया, इसके बाबजूद भी पुलिस ने विपक्षी के खिलाफ आरोप पत्र सं० 192/2012 दिनांक 30.06.2012 समर्पित किया गया है। सदर थाना काण्ड संख्या– 117/2010 मे विपक्षी को जमानत प्राप्त है। डालटेनगंज नगर जी० आर० सं० 1211/04 दिनांक 16.09.2004 वर्ष 2007 में ही समाप्त हो चुका है । डालटेनगंज नगर एस०टी० सं० 65/2005 दिनांक 18.09.2005 विपक्षी को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी जिसमें वे अपील बेल पर है तथा इसके अलावा विपक्षी उपर और कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनके आचरण से समाज में अशांति एवं आम जनता के बीच भय, आंतक एवं दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी समीर बागची उर्फ कल्लु बंगाली, पिता प्रवीर बागची, निवासी कमड़े, थाना रातु जिला– रांची पर निगरानी रखना आवश्यक है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी समीर बागची उर्फ कल्लु बंगाली, पिता प्रवीर बागची, निवासी कमड़े, थाना रातु जिला– रांची को दिनांक 21.09.2023 से दिनांक 20.12.2023 तक की अवधि के लिए रातु थाना, राँची में प्रत्येक दिन को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, रातु थाना के	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 20.09.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 21.09.2023 से दिनांक 20.12.2023 तक प्रत्येक दिन रातु थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी समीर बागची उर्फ कल्लु बंगाली, पिता प्रवीर बागची, निवासी कमड़े, थाना रातु जिला– रांची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति समीर बागची उर्फ कल्लु बंगाली, पिता प्रवीर बागची, निवासी कमड़े, थाना रातु जिला– रांची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे। (लेखापित एवं संशोधित) जिला दण्डाधिकारी रॉंची जिला दण्डाधिकारी रॉंची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:47:17 -08:00
Location: 192.168.1.4